

फर्द अहकाम

उपरखण्ड अधिकारी (नगरपालिका) (जामपुर)

हाजी हुज्जा बनाम - कन्हैयालाल चौडा

47/2021

आज्ञा प्राप्त	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/02/22	<p>पत्रावली पत्र वही वकील आपसी व आपसी वकील अपिष्ट। आपसी वकील न कायम मुकाम का जमाव आज भी पत्र वही किया। जमाव कर किया जाता है। प्रार्थना पत्र पर आप पत्रों की लक्ष पुत्री गई। पत्रावली व पत्रावली का उद्वेगना करण पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को स्वीकार किया जाता है। संबोधित उपाज पत्रावली में शामिल है। मृतक आपसी स 2 व 4 के वही को रिजार्ड पर किया जाता है। प्रार्थना पत्र द्वारा 128 एल क्यूए एफ के तहत विचाराधीन है। उक्त धारा के तहत क्यूएएफों को प्रत्येक देना पर्याप्त है। विहित भूमि का सीमाज्ञा है मुकाम है। इसीलिए प्रार्थना पत्र द्वारा 120 एल एफ के स्वीकार किया जाता है। (संभव है)</p> <p>नोट: प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तहत धारा 128 एल एफ एफ के स्वीकार किया जाता है तथा विहित भूमि, रकबा 0100 रकबा 0.5600 है, रकबा 07 रकबा 0.0100 है, रकबा 91। रकबा 0.4600 है, रकबा 92। रकबा 0.1800 है, रकबा 93। रकबा 0.6300 है, रकबा 94 रकबा 0.1800 है, रकबा 95 रकबा 0.1800 है, रकबा 96 रकबा 0.1100 है, रकबा 98 रकबा 0.1500 है</p>	

CSA

फर्द अहकाम

ज्यामालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली (जुज्जु)

दाजी हुतांग ला बनाम सुप्रीम कोर्ट

संख्या/वर्ष : 47 / 2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
		<p>रकम 99 रकम 0.75 ₹ कुल किता 10 कुल रकम 3.0000 डॉलर भी पर यदि किसी न्यायालय का स्वयं कर्तव्य या होती तहसील न्यायालय को निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त भीमों की परंपरा मुताबिक सीमाज्ञा के अनुसार करना सुनिश्चित करें</p> <p>कर्तव्य की परती तहसील न्यायालय को पालनमें हेतु निर्देश जाते</p> <p>पत्रावली फॉर्मल मुताबिक गदर से करत हो वाद काल जारी रहत हो</p> <p>निर्णय आज दिनांक 14/04/2024 को सुले न्यायालय मुताबिक भया</p> <p style="text-align: right;">CJP</p>	

सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली